

## केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः कर आधारों और कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को मिला कर "कर तरजीह" कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति कर तरजीहों को उत्पन्न करती है तथा ऐसी कर तरजीहों को तरजीही करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का "कर व्ययों" के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। कारण कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्ययों को परित्यक्त राजस्व भी कहा जा सकता है। कर व्यय अथवा परित्यक्त राजस्व विवरण, पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हुई। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पिछले सात वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान अधिकांश कर अधिमानताओं के संबंध में अधिकांश मदों के सम्बन्ध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, 2011-12 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारत कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने; निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना; रोजगार, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान और ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था होती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कुछ मुख्य कर व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

**क. कारपोरेट सेक्टर**

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2011-12 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2012-13) के लिए 30 नवम्बर, 2012 तक 494545 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2012-13 में अनुमानित की गई कुल निगमित विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2011-12 में उनकी आय पर 2,26,083 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 18,785 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 494545 कम्पनियों<sup>1</sup> के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- 278982 कम्पनियों (56.41 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कर देने से पहले 9,89,236 करोड़ रूपये का लाभ तथा 6,98,359 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)<sup>2</sup> की जानकारी दी है।
- 184653 कम्पनियों (37.34 प्रतिशत) ने 3,27,115 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 30910 कम्पनियों (6.25 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 22.85 प्रतिशत<sup>4</sup> थी (जबकि 2010-11 में यह दर 24.10 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 32.445 प्रतिशत थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था का कुल पीबीटी 59.49 प्रतिशत था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 56.40 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 21.67 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक था, की प्रभावी कर दर 26.26 प्रतिशत थी। प्रभावी कर की यह दर जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-2 कम होने तथा कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक दर की उगाही कर परिणाम है। प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2010-11 की प्रभावी दर 24.1 प्रतिशत से कम है। वह अंशतः इसलिए कि निगम करदाताओं (1 करोड़ रूपए की कर देयता से अधिक) पर अधिभार को 2011-12 में 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत घटा दिया गया। इसके अलावा, 494545 कम्पनियों के डाटा में कम्पनियों की प्रोफाइल से यह देखा गया कि नुकसान उठाने वाली कम्पनियों की संख्या 2010-11 में 161595 (नमूने का 35.19 प्रतिशत) से 2011-12 में 184653 (नमूने का 37.34 प्रतिशत) तक बढ़ी।

एक करोड़ रूपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (70.60 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (85.79 प्रतिशत) है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

**सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2011-12) (नमूना आकार-4,94,545)**

क्रम सं.	करों से पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	शून्य से कम	184653	0.00	0.44	0.41		
2	शून्य	30910	0.00	4.61	2.30		
3	0-1 करोड़ रूपए	249567	2.96	3.41	3.40	85.79	26.26
4	1-10 करोड़ रूपए	23339	7.10	7.56	7.82	79.20	25.16
5	10-50 करोड़ रूपए	4330	9.31	9.15	9.46	73.11	23.21
6	50-100 करोड़ रूपए	755	5.28	5.06	5.21	71.24	22.54
7	100-500 करोड़ रूपए	739	15.86	14.56	15.00	68.23	21.63
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	252	59.49	55.21	56.40	68.99	21.67
9	सभी नमूना कंपनियां	<b>494545</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>70.60</b>	<b>22.85</b>

<sup>1</sup> वित्त वर्ष 2010-11 के लिए नमूना आकार 4,59,270 था।

<sup>2</sup> आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

<sup>3</sup> कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup> लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 24.75 प्रतिशत थी।

**सारणी 2** में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 263315 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 37.42 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 18.23 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 15.44 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (263315) ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 10.88 प्रतिशत तथा कुल करों का 18.79 प्रतिशत वाली 48527 कम्पनियों की प्रभाव कर दर सांविधिक दर से अधिक थी। यह आयकर अधिनियम के तहत कतिपय व्ययों को लाभ एवं हानि लेखा के नामे डाले जाने को अस्वीकृति दिए जाने के कारण है। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2011-12) (नमूना आकार-4,94,545)**

क्रम सं.	प्रभावशाली कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	232296	7.67	0.68	0.40
2	0-20	31019	29.75	17.55	15.04
3	20-25	15996	16.82	17.05	16.89
4	25-30	28326	15.40	18.65	18.62
5	30-33.	107471	19.48	27.28	27.34
6	>33.	48527	10.88	18.79	19.40
7	अनिर्धारण (पीबीटी = 0)	30910	0.00	0.00	2.31
8	सभी नमूना कंपनियां	494545	100.00	100.00	100.00

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

**सारणी 3** में सरकारी कम्पनियों (पीएसयू केवल) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हांलाकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है फिर भी यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं।

**सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2011-12) (नमूना आकार-4,94,545)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	230 <sup>#</sup>	27.95	27.16	22.21
2	निजी	494315	72.05	72.84	23.10
	<b>योग</b>	<b>494545</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>22.85</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

# कर-निर्धारित कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित

**सारणी 4** में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (22.01 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दर (23.70 प्रतिशत) से कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 32.445 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

**सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2011-12) (नमूना आकार - 4,94,106)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	127932	50.09	48.24	22.01
2	सेवा	366174	49.91	51.76	23.70
	<b>योग</b>	<b>494106</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22.85</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है। नमूना आकार अन्य सारणियों से थोड़ा कम है क्योंकि कुछ विवरणियों में कारोबार कोड भरे नहीं गए थे।

**सारणी 5** वित्त वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान हुए राजस्व परित्याग के संबंध कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। विश्लेषण 30 नवम्बर, 2012 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2012-13 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः आंकड़ों के नमूने के राजस्व परित्याग को किसी भी तरीके से इन कम्पनियों द्वारा पैमानीकृत नहीं किया गया है। दावा की गई प्रत्येक कर रियायत पर, कर परित्याग की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 32.445 प्रतिशत (3 प्रतिशत शिक्षा कर और 5 प्रतिशत अधिभार सहित) की कारपोरेट कर दर लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण राजस्व परित्याग की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात राजस्व परित्याग के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 32.445 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

राजस्व परित्याग का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघुअवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को अस्थिगत कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखों में कई वर्षों में दिखा रहा होता। चूंकि मूल्यह्रास से इस तरह का रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ पर देयता (वर्ष 2011-12 के सम्बंध में बुक लाभ पर 20 प्रतिशत, शिक्षा कर और अधिभार सहित, की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों 1 वर्ष 2011-12 के सम्बंध में कर योग्य आय पर 32.445 प्रतिशत की दर से पर संगठित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, कर परित्याग को कम करता है।

वित्त वर्ष 2011-12 के राजस्व परित्याग के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 का राजस्व परित्याग निरूपित किया गया है। वर्ष 2012-13 के सम्बंध में आकलन, संशोधित आकलन के अनुसार वर्ष 2012-13 में निरूपित कारपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2011-12 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व परित्याग को गुणा करते हुए किया गया है। सारणी 5, वित्त वर्ष 2011-12 के संबंध में राजस्व परित्याग की शर्तों के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर मुख्य कर व्यय और वित्त वर्ष 2012-13 का निरूपण दर्शाती है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार - 4,94,545)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2011-12)	दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2012-13)
1	एसटीपीआई इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	19.2	शून्य*
2	ईएचटीपी इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	0.8	शून्य*
3	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	10916.2	12033.1
4	निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	30.5	शून्य*
5	एफटीजैड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	1.6	शून्य*
6	निर्यातोन्मुखी इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10ख)	18.0	शून्य*
7	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	34320.1	37831.7
8	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख))	5747.6	6335.7
9	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	105.9	116.7
10	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	404.3	445.7
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	1.4	1.5
12	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	11.4	12.6
13	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	3127.4	3447.4
14	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	211.2	232.8

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपए में) (2011-12)	दर्शाया गया राजस्व परित्याग(करोड़ रुपए में) (2012-13)
15	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	1218.4	1343.1
16	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	8301.6	9151.0
17	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	27.4	30.2
18	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	989.8	1091.1
19	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	201.1	221.7
20	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	227.2	250.4
21	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	52.5	57.9
22	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	89.1	98.2
23	खनिज तेलों के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	7999.0	8817.4
24	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	1008.6	1111.8
25	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	27.5	30.3
26	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	14.4	15.9
27	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	102.3	112.8
28	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्साल से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80झक)	8.1	8.9
29	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	874.0	963.4
30	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	179.7	198.1
31	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	3083.0	3398.4
32	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	1783.4	1965.8
33	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80जकक)	17.1	18.8
34	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80जकक)	72.1	79.5
35	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	11.2	12.3
36	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80झघ)	11.2	12.4
37	कुल योग	81214.3	89446.6
38	घटा		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता -	=	25400
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी-	=	5951
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणाम स्वरूप सकल अतिरिक्त कर	=	19449
	परित्याग किया गया राजस्व	61765.3	68007.6

\* 01.04.2011 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से इसे हटा दिया गया है।

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2011-12 के लिए निरूपित राजस्व परित्याग (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 79,173 करोड़ रूपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 81214.3 करोड़ रूपए है।

त्वरित मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर राजस्व की सर्वाधिक राशि (34320.1 करोड़ रूपए) का परित्याग हुआ है।

विभिन्न क्षेत्रों में, खनिज तेल से जुड़े उपक्रमों, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों आधारभूत संरचना सम्बंधी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती कुल कर परित्याग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

पिछले वर्ष की विवरणी में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए एसईजैड में स्थित यूनितों के निर्यात लाभ पर राजस्व परित्याग 8153 करोड़ रूपए निरूपित किया गया था। तथापि अब उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन इकाइयों पर वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक राजस्व परित्याग 10916.2 करोड़ रूपए गणित किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए इन इकाइयों के लिए राजस्व परित्याग 12033 करोड़ रूपए निरूपित किया गया है। वित्त वर्ष 2011-12 के निरूपित राजस्व परित्याग की तुलना में वित्त वर्ष 2011-12 के वास्तविक राजस्व परित्याग में बढ़ोतरी होने के मद्देनजर, विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों के सम्बंध में वित्त वर्ष 2012-13 के वास्तविक राजस्व परित्याग आकलन से अधिक हो सकता है। इसके अलावा खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन से जुड़े उद्योगों के सम्बंध में वास्तविक राजस्व परित्याग (वित्त वर्ष 2011-12), 2011-12 के 3978 करोड़ रूपए के बजट आकलन की तुलना में बढ़ कर 7999 करोड़ रूपए हो गया है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में कागज और सीमेंट उद्योग की प्रभावी कर दर क्रमशः 15.11 प्रतिशत तथा 15.16 प्रतिशत है। चीनी उद्योग की प्रभावी कर दर भी काफी कम अर्थात् 9 प्रतिशत है। इसी प्रकार विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र की प्रभावी कर दर भी काफी कम अर्थात् 18.4 प्रतिशत है।

#### ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2011-12 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर, 2010 तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से 568194 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 568194 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2011-12 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बहुत बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 82933 करोड़ रूपए की सूचना दी तथा 66177 करोड़ रूपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 53870 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 9.48 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 19736 करोड़ रूपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर दर<sup>5</sup> 23.80 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, कर परित्याग की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत अधिभार) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण राजस्व परित्याग की गणना, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात परित्याग राजस्व के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 30.90 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

यद्यपि वित्त वर्ष के दौरान दायर ऐसी विवरणियों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई का है, अतः इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई के कारण राजस्व परित्याग, गैर कारपोरेट क्षेत्र का कुल राजस्व परित्याग माना गया है। इसका कारण यह है कि इन सभी फर्मों द्वारा विवरणी दायर करने की देय तिथि 30 नवम्बर होती है और विश्लेषण किए गए सभी प्रोत्साहनों में यह अपेक्षा है कि ऐसे प्रोत्साहन का दावा करने के प्रयोजन से देय तिथि से पूर्व विवरणी दायर की जाए।

वित्त वर्ष 2011-12 के राजस्व परित्याग आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व परित्याग का अनुमान लगाया गया है। 2012-13 के लिए अनुमान वर्ष में संग्रहीत वास्तविक आय कर की तुलना में वर्ष 2012-13 के संशोधित आकलन के अनुसार राजस्व परित्याग के अनुपात की गणना करके और फिर 2011-12 के प्रत्येक कर प्रोत्साहन के संबंध में राजस्व परित्याग के इसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। सारणी-6 वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान राजस्व परित्याग की दृष्टि से गैर कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाती है। कुल मिलाकर उच्चतम कर व्यय, जो कि आवासीय परियोजनाओं के लाभों पर कटौती, जो कुल राजस्व परित्याग का 33.55 प्रतिशत बैठती है, के कारण हैं।

<sup>5</sup> फर्मों/ए ओ पी/बी ओ आई के मामले में प्रभावी कर दर कुल संदत्त कर (शिक्षा उपकर सहित) का कुल कर-पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात होता है तथा एक प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

## सारणी 6 : वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान नमूना फर्मों / एओपी/बीओआई पर प्रमुख कर व्यय (नमूना आकार-5,68,194)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2011-12)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2012-13)
1	एसटीपीआई इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	3.7	शून्य*
2	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	732.1	883.5
3	निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क)	1.3	शून्य*
4	निर्यातोन्मुखी इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10ख)	8.3	शून्य*
5	बढ़ा हुआ मूल्यहास (धारा 32)	681.4	822.3
6	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख))	17.5	21.1
7	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	11.3	13.7
8	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	34.9	42.1
9	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	2.8	3.3
10	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	2.5	3.0
11	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	39.2	47.3
12	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	84.8	102.3
13	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1.9	2.2
14	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	78.7	95.0
15	विद्युत संयंत्रों के पुनर्द्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	5.0	6.1
16	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	13.3	16.1
17	लघु क्षेत्रों में प्रचालित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	11.8	14.3
18	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	93.5	112.9
19	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	15.5	18.7
20	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	9.4	11.4
21	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2310.1	2787.6
22	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.5	1.8

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2011-12)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए) (2012-13)
23	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	3.3	4.0
24	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	17.7	21.4
25	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्साल से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	3.0	3.6
26	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	378.0	456.1
27	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	693.3	836.7
28	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	372.9	450.0
29	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	534.5	645.0
30	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80जजक)	6.0	7.2
31	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	3.9	4.7
32	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	967.8	1167.8
33	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	4.5	5.4
	<b>योग</b>	<b>7145.4</b>	<b>8606.6</b>

\* 01.04.2011 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से इस कटौती को हटा दिया गया है।

#### ग. व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व का अनुमान 30 नवम्बर, 2012 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 9865701 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2011-12 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय महिलाओं (60 वर्ष की आयु से कम), वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,00 ₹. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

9865701 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 22, 23 एवं 24) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन प्रति महिला (60 वर्ष की आयु से कम), प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के परित्यक्त राजस्व को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात् इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया

है। 30 नवम्बर, 2012 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 9865701 है। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए दाखिल 30814135 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2011-12 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 32354842 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 9.25 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 26.56 प्रतिशत विवरणियां महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) द्वारा दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक और महिला (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं) के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन 1,80,000 रु. की सामान्य छूट सीमा की तुलना में दो वर्गों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् क्रमशः 2,50,000 रु. तथा 1,90,000 रु.) के बीच अन्तर और उस अन्तर पर 10 प्रतिशत (उपकर सहित) की निम्नतम कर दर लागू करने को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए परित्यक्त राजस्व 7210 रु. और प्रत्येक महिला करदाता के लिए 1030 रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट की सीमा 5,00,000 रु. है और ऐसी आय पर 32,960 रु. (उपकर सहित) की राशि की गणना किए गए कर का भुगतान साठ वर्ष से कम आयु के व्यष्टियों द्वारा किया जाना है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए होने वाला परित्यक्त राजस्व लिया गया है। इसके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे करदाता (महिला, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण परित्यक्त राजस्व की परिकल्पना 1,80,000 रु. की सामान्य छूट सीमा के ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर की गई है।

(ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख, 80-झक, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 12 से 16) के अंतर्गत कटौती के मामले में परित्यक्त राजस्व का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2011-12 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अधीन थीं। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में विवरणियां दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवम्बर है और विश्लेषण किए गए अधिकतर प्रोत्साहनों के लिए ऐसे प्रोत्साहनों के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणियों को नियत तारीख से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित है। इसलिए आंकड़ों के नमूने से परित्यक्त राजस्व को इन धाराओं के अन्तर्गत दावा की गई कटौतियों के लिए किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ाया गया है।

(iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिये परित्यक्त राजस्व का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-

(क) पहले प्रत्येक आय खंड, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिये प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत परित्यक्त राजस्व की गणना की जाती है।

(ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2011-12 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय खंड में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत परित्यक्त राजस्व से गुणा किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय खंड के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए परित्यक्त राजस्व के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए परित्यक्त राजस्व प्राप्त होता है।

(iv) वित्त वर्ष 2011-12 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए अनुमान, वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2011-12 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2011-12 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण परित्यक्त राजस्व पर लागू करके किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के परित्यक्त राजस्व के रूप में व्यष्टि करदाताओं पर हुए मुख्य कर व्यय को दर्शाता है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13  
के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर मुख्य कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2011-12)	लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2012-13)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	25408.9	30661.7
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	145.7	175.8
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	31.3	37.7
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	878.3	1059.9

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2011-12)	लक्षित राजस्व परित्याग (करोड़ रुपये में) (2012-13)
5	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	124.6	150.4
6	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	49.2	59.4
7	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	261.8	316.0
8	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	297.4	358.9
9	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	89.1	107.5
10	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	28.2	34.0
11	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	11.4	13.8
12	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	40.8	49.2
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	1.7	2.1
14	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	336.7	406.2
15	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	303.8	366.6
16	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.2	1.5
17	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80अजक)	9.5	11.5
18	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	8.1	9.8
19	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	0.5	0.5
20	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	119.4	144.0
21	अवसंरचना बंधपत्रों में कतिपय निवेशों के कारण कटौती (धारा 80गगच)	927.4	शून्य*
22	महिलाओं के लिए उच्च छूट सीमा	759	शून्य*
23	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1772	2138
24	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	624	753
	<b>योग</b>	<b>32230</b>	<b>36857.5</b>

\* 01.04.2012 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से इसे हटा दिया गया है।

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश, आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान और बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) पर होने वाला कर व्यय वैयक्तिक करदाताओं के मामले में अकेला सबसे बड़ा कर व्यय है। उसके बाद अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश (धारा 80गगच) और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) के कारण होने वाली कटौती है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला परित्यक्त राजस्व भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

## अप्रत्यक्ष कर

### क. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। कई-कई मामलों में वित्त अधिनियमों के द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाएगा इन विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क के "टैरिफ दर" के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क (1) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जनहित में छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकती है जिससे कि इन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। इन छूट अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को "लागू दर" के नाम से जाना जाता है।

परित्यक्त राजस्व को इन छूट अधिसूचनाओं के बिना भुगतान किये जाने वाले शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार वास्तव में भुगतान किये गये शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- जहां कि शुल्क की टैरिफ दर और लागू दर को मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पर;

#### परित्यक्त राजस्वउमाल का मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर- शुल्क की लागू दर)

- जहां कि टैरिफ दर मूल्यानुसार आधारित है लेकिन लागू दर छूट अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से वसूला जाता है वहां पर-  
परित्यक्त राजस्व = (माल का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर) - (माल की प्रमात्रा x विनिर्दिष्ट शुल्क की लागू दर)
- जहां कि टैरिफ दर और लागू दर मूल्यानुसार और विशिष्ट दर का योग (कम्बिनेशन) बनता है वहां पर परित्यक्त राजस्व की गणना तदनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में जहां कि शुल्क की टैरिफ दर लागू दर के बराबर होती है वहां पर परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, उस सामान्य छूट से भिन्न जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति का अभिन्न हिस्सा होती है, ऐसे छूट आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य इन अपवादित परिस्थितियों का समाधान करना होता है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना परित्यक्त राजस्व के रूप में नहीं की जा रही है।

देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की स्वचालित व्यवस्था (एसीईएस) शुरू की गई है वर्ष 2011-12 का परित्यक्त राजस्व इसी एसीईएस के आंकड़े पर आधारित है जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्धारितियों द्वारा भरे गये रिटर्न में दिये गये आंकड़े भी लिए गये हैं। चूंकि प्राप्त राजस्व के वास्तविक आंकड़े पूरे वर्ष के होते हैं अतः परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में भी संशोधन किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को लागू किये जाने के कारण परित्यक्त शुल्क को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से अलग-अलग प्राप्त किया जाता है और इनको फिर एक में जोड़ा जाता है। पिछले बजट में, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए परित्यक्त राजस्व का अनुमान उस वाग्विस्तार विधि का प्रयोग करते हुए लगाया गया था जो कि इस वर्ष के एक अंश अर्थात् अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक के प्राप्त आंकड़े पर आधारित थी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 का परित्यक्त राजस्व अनुमानित तौर पर 2,12,167 करोड़ रुपये था [1,99,287 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) + 12,880 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)]। इस अनुमानित 2,12,167 करोड़ रुपये के एवज में वित्तीय वर्ष 2011-12 का संशोधित परित्यक्त राजस्व, जो पूरे वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, 1,95,590 करोड़ रुपये [1,79,453 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) + 16,137 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)] होता है।

पिछले वर्षों की भांति चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 में भी परित्यक्त राजस्व का अनुमान इस वर्ष के एक हिस्से अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर 2012-13 के एईएस आंकड़ों पर आधारित वाग्विस्तार विधि का प्रयोग करते हुए लगाया गया है तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 परित्यक्त राजस्व अनुमानित तौर पर 2,06,188 करोड़ रुपये [1,87,688 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) और 18,500 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)] है।

इस 2,06,188 करोड़ रुपये के अनुमान से पता चलता है कि यह पिछले वर्ष के संशोधित आंकड़े अर्थात् 1,95,590 करोड़ रुपये से 5.4 प्रतिशत अधिक है। यह परित्यक्त राजस्व वर्ष 2011-12 के परित्यक्त राजस्व से अधिक है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक संकलित उत्पाद शुल्क पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12 के तत्संबंधित अवधि में संकलित उत्पाद शुल्क से 18 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत (जब सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया हो) और 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत (जब सेनवेट क्रेडिट प्राप्त न किया गया हो) कर दिया गया हो। फिर भी, इस वृद्धि को भी बहुत हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं पर टैरिफ दर को 16 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है इस समय दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं-

(i) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और (त्त) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)। धनवापसी आधारित छूट के मामले में परित्यक्त राजस्व की संगणना संगत वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को स्वीकृत सभी धन वापसियों या उनके द्वारा किये गये दावों के योग के आधार पर की जाती है। क्लियरेंस में हो रही बढ़ोतरी के कारण यह स्पष्ट है कि धनवापसी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जहां तक पूर्ण छूट का संबंध है, परित्यक्त राजस्व की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है। अतः इसी तर्क के आधार पर छूट योजनाओं से संबंधित परित्यक्त राजस्व में भी बढ़ोतरी का रूख ही दिखाई दे रहा है।

राजस्व परित्याग आंकड़े निम्नलिखित तालिका 8 में दिए गए हैं।

#### सारणी 8 : उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कर व्यय

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रूपए में)		
		2011-12	2012-13	
		प्राक्कलन	संशोधित	प्राक्कलन
1	उत्तर पूर्व राज्यों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात के कच्छ जिलों में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	12880	16137	18500
2	अन्य	199287	179453	187688
	<b>योग</b>	<b>212167</b>	<b>195590</b>	<b>206188</b>

#### ख. सीमाशुल्क

“टैरिफ दरों” के रूप में ज्ञात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क ड्यूटी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में (i) सीमाशुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (सामान्यतः बराबर ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी के रूप में संदर्भित), जो एक समान वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी के बराबर दर पर उद्ग्रहीत की जाती है यदि भारत में उत्पादित अथवा निर्मित हो और (ii) विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क ड्यूटी (सामान्यतः विशेष सीवीडी अथवा एसएडी के रूप में संदर्भित) जो 4 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहणीय है, के उद्ग्रहण का भी प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार को लोकहित में अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत छूट की शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम पर ड्यूटी दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित ये दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं।

राजस्व परित्याग को ड्यूटी के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो यदि ऐसा न होता तो छूट अधिसूचना और उक्त अधिसूचना के अनुसार देय वास्तविक ड्यूटी पर, देय होता। अन्य शब्दों में,

#### राजस्व परित्याग = मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)

ऐसे मामलों में, जहां टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर है, राजस्व परित्याग शून्य हो जाता है। विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत राजस्व परित्याग का अनुमान विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय (ईडीआई) स्थलों पर भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में दर्ज प्रविष्टि बिलों से उत्पन्न आंकड़े पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली, गैर-ईडीआई स्थलों के माध्यम से आयातों अथवा जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः प्रचालित नहीं है अथवा जहां प्रविष्टि बिलों को अभी तक हाथ द्वारा दर्ज किया जा रहा है, के संबंध में डाटा हासिल नहीं करता है, तो राजस्व परित्याग की कुल स्थिति तक पहुंचने के क्रम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व परित्याग डाटा मूल की सीमाशुल्क ड्यूटी, सीवी ड्यूटी से छूटों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं छूट, जो सीवी ड्यूटी के उद्ग्रहण के लिए संगत हैं, पर भी ध्यान देता है। यह 4 प्रतिशत के विशेष सीवीडी से छूटों पर भी ध्यान देता है।

वर्ष 2011-12 के लिए, ईडीआई डाटा द्वारा अभिग्रहीत कुल सीमा शुल्क राजस्व 1,49,300 करोड़ के वास्तविक कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण के मुकाबले 1,26,504 करोड़ था। इस प्रकार, ईडीआई ने वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक प्रतिवेदित कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का लगभग 85 प्रतिशत अभिग्रहण किया।

वर्ष 2011-12 हेतु पूर्वचिंतित राजस्व का हल किए जाने के क्रम में, ईडीआई डाटा, खाद्य तेलों, खनिजों और अयस्कों तथा पेट्रोलियम उत्पादों/ कच्चा पेट्रोलियम, जो सीमाशुल्क स्थलों से अधिकांश नौभार के रूप में सामान्यतः आयात किए जाते हैं, जिनमें से कुछ अब ईडीआई में नहीं हैं, से राजस्व लिए जाने के साथ उचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के लिए कुल सीमाशुल्क राजस्व 1,49,300 करोड़ था। वर्ष 2011-12 के लिए ईडीआई डाटा के अनुसार कुल वसूला गया राजस्व 1,26,504 करोड़ था जो 85 प्रतिशत की व्याप्ति को दर्शाता है। ईडीआई प्रणाली से यथा उत्पन्न कुल राजस्व परित्याग 2,42,681 करोड़ आया है। सभी छूट अधिसूचनाओं के कारण 2011-12 हेतु व्याप्ति और अधिकांश नौभार (ईडीआई पर नहीं), परित्यक्त ड्यूटी गत वर्ष प्रकाशित 2,76,093 करोड़ की परित्यक्त ड्यूटी के मुकाबले 2,85,638 करोड़ पर बैठता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग घटाने के पश्चात किन्तु निम्नलिखित तालिका को क्र.सं. 14 पर उल्लिखित प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग सहित, वर्ष 2011-12 हेतु निवल परित्यक्त ड्यूटी 236852 करोड़ पर कार्यान्वित की गई है [2,85,638 करोड़-48,786 करोड़] ।

वर्ष 2012-13 (अनुमानित) हेतु अनुमानित राजस्व परित्याग कार्यान्वित किए जाने के क्रम में, समान कार्य प्रणाली अपनाई गई थी। इस वर्ष ईडीआई ने वास्तविक प्रतिवेदित कुल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का लगभग 91 प्रतिशत अभिग्रहण किया गया। अप्रैल, 2012- दिसम्बर, 2012 अवधि हेतु ईडीआई राजस्व परित्याग आंकड़े 12 माह के लिए 2,98,094 करोड़ हेतु बर्हिवेशन हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग को घटाने के पश्चात किन्तु नीचे तालिका 11 की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित प्रोत्साहन स्कीमों से राजस्व परित्याग सहित, वर्ष 2012-13 के लिए निवल परित्यक्त ड्यूटी (अनुमानित) 253967 करोड़ [2,98,094 करोड़ रुपये-44,127 करोड़ रुपये] कार्यान्वित की गई।

वर्ष 2011-12 की तुलना में इस वर्ष के परित्यक्त राजस्व में वृद्धि (पिछले वर्ष के मुकाबले 7.23 प्रतिशत अधिक) हुई है, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में सीमाशुल्क के संग्रहण के आधार (जैसे आयात का सकल मूल्य/परिमाण) में भी विस्तार किया गया है जैसा कि इस बात से प्रकट होता है कि दिसम्बर, 2012 तक संकलित सीमाशुल्क पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 के तत्संबंधी अवधि में संकलित सीमाशुल्क से 5.9 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, विभिन्न मुक्त व्यापार करारों के अंतर्गत छूटें भी दी गई हैं और कोयले पर बीसीडी और सीवीडी को कम करके क्रमशः शून्य और 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रमुख जिंस समूहों और सकल परित्यक्त शुल्क में उनके हिस्से के आधार पर 2011-12 और 2012-13 की अवधि के परित्यक्त सीमाशुल्क को नीचे दी गई सारणी-9 में दर्शाया गया है :-

**सारणी-9 : परित्यक्त राजस्व में अपना योगदान देने वाले प्रमुख जिंस समूहों का हिस्सा**

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2011-12		2012-13 (अनुमानित)	
	परित्यक्त राजस्व (करोड़)	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत	परित्यक्त राजस्व (करोड़)	कुल परित्यक्त राजस्व में हिस्से का प्रतिशत
कूड ऑयल एवं खनिज तेल (27)	55576	19.5%	57752	19.5%
उपकरण (84 एवं 85)	32386	11.5%	35042	12%
हीरा और स्वर्ण (71)	65975	23%	61035	20.5%
खाद्य सब्जी, फल, अनाज, वनस्पति तेल (7, 8, 10, 15)	32407	11.5%	33742	11.5%
प्राथमिक धातुएं एवं उससे बनी वस्तुएं (72 से 83)	16128	6%	18813	6.5%
रासायनिक एवं प्लास्टिक वस्तुएं (28, 29, 39)	20753	7%	20879	7%
कपड़ा (50 से 63)	15287	5.5%	16974	6%
उर्वकर (31)	7439	3%	7920	3%
लवण एवं अयस्क (25 से 26)	2424	1%	2578	1%
औषध (30)	1628	1%	1393	0.5%
<b>योग</b>	<b>250003</b>	<b>87.5%</b>	<b>256128</b>	<b>86 %</b>

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय के परित्यक्त राजस्व आंकड़े नीचे सारणी-10 में दिये गये हैं :-

**सारणी :10 सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान**

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2011-12	2012-13 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	5	4
2	मांस और खाद्य मांस ऑफन	5	3
3	मत्स्य एवं क्रस्टेसियन्स, अन्य जलीय अकेशुकीय प्राणी	41	52
4	डेयरी उत्पाद	215	34

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2011-12	2012-13 (अनुमानित)
5	पशु आदि के अन्य उत्पाद	71	56
6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे	7	4
7	खाद्य सब्जियां, विशिष्ट मूल और कन्द	4288	5623
8	खाद्य फल और नारियल	2667	2580
9	काफी, चाय, मेट और मसाले	2323	1804
10	अनाज	27	49
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	31	36
12	तिलहन, अनाज, बीज फल	306	213
13	लाख, गोंद और रेजिन	157	276
14	सब्जी प्लेटिंग वस्तुएं	5	8
15	जन्तु या वनस्पति वसा	25425	25491
16	मांस या मछली से विनिर्मित पदार्थ	18	12
17	चीनी	876	1644
18	कहवा	247	299
19	अनाज से विनिर्मित पदार्थ	38	31
20	वनस्पति से विनिर्मित पदार्थ	84	41
21	विविध खाद्य उत्पाद	532	725
22	पेय एवं स्प्रिट	301	126
23	खाद्य उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे	283	353
24	तम्बाकू	95	164
25	लवण, गंधक मिट्टी एवं पत्थर	1042	937
26	अयस्क	1382	1641
27	खनिज ईंधन एवं खनिज तेल	55576	57752
28	अकार्बनिक रसायन	3866	4425
29	जैव रसायन	12478	11048
30	औषधि उत्पाद	1628	1393
31	उर्वरक	7439	7920
32	टैनिंग एवं डायिंग निष्कर्ष, रंजक	603	537
33	आवश्यक तेल	465	406
34	साबुन एवं धुलाई के उत्पाद	231	182
35	प्रोटीन पदार्थ	228	161
36	विस्फोटक एवं माचिस	7	37
37	फोटोग्राफी सामान	102	89
38	विविध रसायनिक पदार्थ	2565	1795
39	प्लास्टिक	4409	5406
40	खर	2720	2862
41	हाइड एवं स्किन एवं लेदर	333	333
42	चमड़े की वस्तु	70	49
43	फर स्किन	4	5
44	लकड़ी	1492	1440
45	कर्क	2	1
46	भूस के उत्पाद	1	0
47	लकड़ी की लुगदी	749	1012
48	कागज	1717	1387
49	मुद्रित अखबारों एवं किताबें	523	626
50	रेशम	533	557
51	ऊन	455	245
52	सूती	979	1502

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2011-12	2012-13 (अनुमानित)
53	अन्य वनस्पति फाइबर	111	89
54	मानव निर्मित सूत	8515	4244
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	690	765
56	वैडिंग एवं गैर बुने हुए	60	77
57	कालीन	46	51
58	विशेष बुने हुए कपड़े	2686	8232
59	लेपित कपड़ा वस्त्रों	681	702
60	बना हुआ कपड़ा	266	291
61	बने हुए रेडीमेट कपड़े	59	61
62	बुने हुए कपड़े	112	109
63	बने बनाये सामान	94	49
64	जूता	234	258
65	सिर की टोपी	3	3
66	छाता	17	12
67	पंख/कृत्रिम फूल	6	4
68	पत्थर और प्लास्टर की वस्तुएं	161	293
69	मिट्टी के उत्पाद	509	250
70	कांच और कांच के बर्तन	262	287
71	बहुमूल्य रत्न, आभूषण	65975	61035
72	लोहा और इस्पात	9324	11417
73	लोहा और इस्पात के वस्तु	2894	2901
74	कॉपर और उससे निर्मित वस्तुएं	1157	1458
75	निकेल और उससे निर्मित वस्तुएं	301	180
76	एल्यूमीनियम एवं उससे निर्मित वस्तुएं	1244	1624
78	शीशा एवं उससे निर्मित वस्तुएं	249	227
79	जिंक और उससे निर्मित वस्तुएं	102	114
80	टिन एवं उससे निर्मित वस्तुएं	85	93
81	अन्य बेस मेटल	143	146
82	उपकरण एवं उपस्कर	422	430
83	बेस मेटल से निर्मित विविध वस्तुएं	207	223
84	मशीनरी	17709	20801
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14677	14241
86	रेलवे या ट्रामवेज लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टॉक्स आदि	95	156
87	मोटर वाहन	3912	2422
88	एअर क्राफ्ट्स	2332	2374
89	शिप्स, बोट्स एवं फ्लॉटिंग स्ट्रक्चर्स	4519	5872
90	चश्मा/फोटोग्राफी उपकरण	3550	4413
91	क्लॉक एवं वॉच	74	29
92	संगीत वाद्ययंत्र	6	12
93	हथियार और गोला बारूद	1031	1774
94	फर्नीचर	351	395
95	खिलौने और खेल	219	249
96	विविध निर्मित वस्तुएं	219	1148
97	कला की प्राचीन वस्तुएं	78	116
98	परियोजना आयात, सामान	605	5091
<b>योग</b>		<b>285638</b>	<b>298094</b>

इन आंकड़ों में वह परित्यक्त राजस्व भी शामिल है जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को समस्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं अतः इन योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को परित्यक्त राजस्व की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 11 में दर्शाया गया है।

**सारणी 11 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला परित्यक्त राजस्व**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2011-12	2012-13 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	18306	19334
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	4555	4271
3	ईपीसीजी	9672	11737
4	डीईपीबी स्कीम	10409	3372
5	एसईजेड	4560	3742
6	डीएफआरसी	40	21
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	1244	1651
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	190	122
9	टारगेट प्लस स्कीम	436	411
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	2263	2204
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	556	1227
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	3951	6362
13	<b>योग</b>	<b>56182</b>	<b>54455</b>
14	क्र.सं. 8 से 12 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	<b>7396</b>	<b>10328</b>
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	<b>48786</b>	<b>44127</b>

राजस्व परित्यक्त के उपर्युक्त अनुमान में उस विनिर्दिष्ट राजस्व को शामिल नहीं किया गया है जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए हैं जो कि अपवादित प्रकृति की परिस्थितियों से संबंधित हैं।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के परित्यक्त राजस्व को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

**सारणी - 12 : वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 का परित्यक्त राजस्व (प्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपये में)

	2011-12 का परित्यक्त राजस्व	2012-13 का परित्यक्त राजस्व
कॉर्पोरेट आयकर	61765.3	68007.6
व्यक्तिगत आयकर	39375.4	45464.1
<b>योग</b>	<b>101140.7</b>	<b>113471.7</b>

## सारणी - 13 : वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 का परित्यक्त राजस्व (अप्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपये में)

	2011-12 का परित्यक्त राजस्व	2012-13 का परित्यक्त (अनुमानित) राजस्व
उत्पाद शुल्क	195590	206188
सीमाशुल्क ड्यूटी	236852	253967

वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) का सकल परित्यक्त राजस्व 5,33,582.7 करोड़ रुपये है और 2012-13 में यह प्रक्षेपित रूप से 5,73,626.7 करोड़ रुपये होता है। निष्कर्ष के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में ही कुल परित्यक्त राजस्व का रुझान ऊपर की ओर है।

## परिशिष्ट

उद्योग में नमूना कंपनियों की अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर  
(वित्त वर्ष 2011-12) (नमूना आकार - 494106)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर देयता (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
1	निर्माता उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	13471	12136.0	2989.1	24.63
2	निर्माता उद्योग	मोटर गाडी और मोटरगाडी के पुर्जे	4225	37810.8	8022.0	21.22
3	निर्माता उद्योग	सीमेंट	726	11854.7	1797.3	15.16
4	निर्माता उद्योग	हीरा तराश	470	2066.3	422.7	20.46
5	निर्माता उद्योग	औषध और औषधीय	5109	27968.6	4740.8	16.95
6	निर्माता उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रॉनिक सामान	2515	5894.5	1651.8	28.02
7	निर्माता उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9662	40595.6	11758.0	28.96
8	निर्माता उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3747	18214.3	4682.2	25.71
9	निर्माता उद्योग	आटा और चावल मिलें	1321	728.4	134.8	18.50
10	निर्माता उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां	2618	6676.1	1650.5	24.72
11	निर्माता उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	1958	710.0	177.7	25.03
12	निर्माता उद्योग	कागज	1387	1321.6	199.6	15.11
13	निर्माता उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन	699	61469.2	11729.8	19.08
14	निर्माता उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	4475	90513.4	16653.7	18.40
15	निर्माता उद्योग	मुद्रण और प्रकाशन	2595	3780.4	1088.7	28.80
16	निर्माता उद्योग	रबर	919	886.0	194.8	21.99
17	निर्माता उद्योग	इस्पात	4718	23303.5	5007.7	21.49
18	निर्माता उद्योग	शर्करा	288	708.1	63.7	9.00

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	संदेय कुल कर (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
19	निर्माता उद्योग	चाय, काफी	944	2055.8	338.6	16.47
20	निर्माता उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9204	7943.7	1586.3	19.97
21	निर्माता उद्योग	तम्बाकू	277	9608.1	2693.2	28.03
22	निर्माता उद्योग	टायर	166	2851.4	588.0	20.62
23	निर्माता उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	623	976.0	180.1	18.46
24	निर्माता उद्योग	अन्य	55815	125366.3	30689.4	24.48
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	792	407.8	106.8	26.18
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	11630	5261.6	1479.5	28.12
27	व्यापार	थोक व्यापारी	19339	6290.1	1826.0	29.03
28	व्यापार	अन्य	74266	21816.2	5227.0	23.96
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4095	1079.2	310.3	28.75
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	16138	5479.4	1192.6	21.77
31	भवन निर्माता	सम्पदा एजेंट	3123	498.6	103.4	20.73
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासक	26199	16672.1	3108.4	18.64
33	भवन निर्माता	अन्य	19417	6149.6	1021.3	16.61
34	ठेकेदार	सिविल ठेकेदार	8882	11775.5	3132.6	26.60
35	ठेकेदार	उत्पाद शुल्क ठेकेदार	19	7.1	2.1	29.26
36	ठेकेदार	वन ठेकेदार	13	1.9	0.2	9.83
37	ठेकेदार	खनन ठेकेदार	724	2605.8	819.1	31.43
38	ठेकेदार	अन्य	9363	7854.8	2139.1	27.23
39	संव्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा, आदि	77	5.8	1.8	30.96
40	संव्यावसायिक	फैशन रूपांकक	104	25.5	6.8	26.80
41	संव्यावसायिक	विधि संव्यावसायिक	289	62.6	18.9	30.10
42	संव्यावसायिक	चिकित्सा संव्यावसायिक	1390	235.9	67.1	28.45
43	संव्यावसायिक	उपचर्चा-ग्रह	950	179.4	50.5	28.14
44	संव्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1021	1188.7	234.4	19.72
45	संव्यावसायिक	अन्य	6175	1221.5	362.2	29.66
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	2601	1330.2	419.8	31.56

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर देयता (करोड़ रुपये)	प्रभावी कर दर (% में)
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	241	31.9	11.0	34.58
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	14676	12223.3	3039.6	24.87
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	445	525.5	193.8	36.88
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	2664	1200.5	307.5	25.62
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीजर्स	660	138.3	37.6	27.17
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	3740	2621.4	572.6	21.84
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6293	2705.2	538.2	19.89
54	सेवा क्षेत्र	आई.टी.समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	9713	24139.8	5886.4	24.38
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	1476	491.5	163.1	33.19
56	सेवा क्षेत्र	सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण	10201	55941.8	12834.0	22.94
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	3987	3625.8	817.5	22.55
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	3588	1146.6	321.8	28.07
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	54511	59309.3	12908.4	21.76
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	269	112926.9	29435.1	26.07
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिट फंड	2171	464.0	148.0	31.89
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	438	10116.9	2725.3	26.94
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	3002	6058.5	1486.9	24.54
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	542	3239.5	772.4	23.84
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	धन साहूकार	470	109.2	26.2	23.95
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंक वित्त कंपनियां	8268	37752.2	8530.6	22.60
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3920	4462.3	1353.0	30.32
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	20988	54755.1	9571.8	17.48
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी.वी. उत्पादन	372	146.7	40.5	27.61
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	322	87.8	16.0	18.21
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	34	58.6	3.8	6.52
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	512	172.5	39.3	22.78
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	355	3236.3	1067.1	32.97
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	5709	5824.4	2533.0	43.49
<b>कुल</b>			<b>494106</b>	<b>989100.5</b>	<b>226051.1</b>	<b>22.85</b>